आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
22.03.2023	**वाद संख्या–06 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा उपस्थित। आज की सुनवाई ऑडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। आयोग ने जब परिवादी से उनकी समस्या सुनवाई के दौरान जाननी चाही, तो परिवादी श्री जीतवाहन महतो का कहना है कि उन्हें राशन से संबंधित कोई शिकायत नहीं है। उनकी शिकायत यह है कि संबंधित स्वयं सहायता समूह से उन्हें वांछित सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। खाद्य आयोग ने परिवादी को इस आशय की जानकारी दी कि खाद्य आयोग उन्हें उनके हक का राशन उपलब्ध करवा सकता है, सूचना उपलब्ध कराने के लिए उन्हें सूचना आयोग में संपर्क करना चाहिए। इस टिप्पणी के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजे। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	